

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

प्रषमन प्रकरण तैयार नहीं करने पर 2 प्रभारी सहायक यंत्री व 6 उपयंत्रियों की एक.एक वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम 9 दिसम्बर । नगर मंे अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित भवनों के प्रषमन प्रकरण के नोटिस जारी नहीं किये जाने तथा प्रषमन प्रकरण तैयार करवाकर ऑन लाईन राषि जमा नहीं करवाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 2 प्रभारी सहायक यंत्री सहित 6 उपयंत्रियों की एक.एक वेतन वृद्धि रोकी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 12 नवम्बर को बैठक में प्रभारी सहायक यंत्री व समस्त उपयंत्रियों को निर्देशित किया था कि वे अपने.अपने वार्डों में अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्मित भवनों के प्रषमन प्रकरण के नोटिस जारी करें व प्रषमन प्रकरण तैयार करवाकर ऑन लाईन राषि जमा करवायें। निर्देशों की पालना में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर नोटिस जारी किये जाने पर भी प्रभारी सहायक यंत्री व उपयंत्रियों द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने व नोटिस का जवाब नहीं दिये जाने पर प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए श्री अनवर कुरेष्ी के अलावा उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए राजेश पाटीदारए ब्रजेश कुषवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरक व श्रीमती अनिता ठाकुर की एक.एक वेतन वृद्धि असयंचयीह प्रभाव से रोकी गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशों के तहत प्रभारी सहायक यंत्री श्री प्याम सोनी द्वारा अपने वार्ड में प्रषमन प्रकरण नोटिस जारी कर प्रकरण तैयार कर 27 लाख की राषि ऑन लाईन जमा करवाई गई व नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया गया।

लायसेंस प्राप्त 59 कन्सलटेंट को सूचना पत्र जारी

अपने.अपने क्षेत्रों में तीन दिवस में ऑन लाईन जमा कराने होंगे प्रषमन प्रकरण

इसके अलावा नगर निगम से लायसेंस प्राप्त 59 कन्सलटेंट को भी तीन दिवस में अपने.अपने क्षेत्रों में इंजीनियरों के माध्यम से अनुमति के के विपरीत व स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वाले भवन स्वामियों से तीन दिवस में ऑन

लाईन आवेदन जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया है एक भी प्रकरण लंबित पाया गया तो संबंधित कन्सलटेंट का लायसेंस निरस्त किया जायेगा क्योंकि नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली भवन अनुज्ञा में कन्सलटेंट द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाता है। अनुमति के विपरित ए स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्माण होने पर प्रचालित नियमानुसार कन्सलटेंट भी उत्तरदायी होते है इस कारण ऐसे भवनों का प्रषमन प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना कन्सलटेंट की भी जिम्मेदारी होती है।

नेशनल लोक अदालत का 11 दिसम्बर शनिवार को आयोजन संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार ;सरचार्जद्ध की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 9 दिसम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 11 दिसम्बर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10ए000६ ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10ए000६ से अधिक तथा रूपये 50ए000६ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1ए00ए000६. रूपये एक लाख६ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए000६. से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ,व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज६ ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020.21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 11६12६2021 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 11 दिसम्बर 2021 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ,सरचार्ज६ में छूट का लाभ उठावें।

खुले में गंदगी करने पर 26 व्यक्तियों पर जुर्माना

मास्क नहीं लगाने पर 57 व्यक्तियों पर जुर्माना

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 09 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 9 दिसम्बर को 26 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर इकबाल खान इन्द्रलोक नगर पर 500ए अशोक वर्मा, भूपेन्द्र जवाहर नगर, गजेन्द्र राठौर, अब्दुल वहीद बाजना बस स्टैण्ड, रामलाल, मांगीलाल, ष्याम अमृत सागर, भारत जाट, विजेन्द्र दो बत्ती, गोविन्द महू रोड पर 100.100ए अजय, अरविन्द, गंगाराम सैलाना रोड, भगवानसिंह, तारासिंह, देवीलाल लोकेन्द्र टॉकिज, ष्यामलाल बाजना बस स्टैण्ड, बबलू, भेरूलाल अमृत सागर, गोपाल

जीतू वर्माए सरवन दो बत्तीए सीतारामए सिद्धार्थए मनोज कुमार महू रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 57 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोणनंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोणनंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोणनंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोणनंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोणनंण 6268449110ए राकेश ललावत मोणनंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

आज पशु वध करनाए मटन विक्रय करना प्रतिबंधित

रतलाम 09 दिसम्बर। मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 10 दिसम्बर को संत श्री जिन तरण तारण जयंती होने से नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौष्ट विक्रय करना अथवा बेचना निशेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौष्ट विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

6035 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 09 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशनए राष्ट्रीय विधवा पेंशनए राष्ट्रीय निःषक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनए विधवा पेंशनए निःषक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके

तहत 09 दिसम्बर गुरूवार तक 6035 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 60 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पंेषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

09 दिसम्बर को 82 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा रतलाम 09 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 09 दिसम्बर गुरूवार को 82 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

09 दिसम्बर गुरूवार को डम्पर से 34525ए टे^अ कटर से 13195ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 14360 व काम्पेक्टर गीला कचरा 20910 किलो इस तरह कुल 82990 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 09 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 09 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 09 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6

नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की

सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्वजसंविण्हेमन्तध09ण12ण2021धनणपाणनिगमए रतलामण